खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक– 852 /न0नि0

सेवा में,

श्री दिनेश कुमार तिवारी
पिता– स्व० बालेश्वर तिवारी
पता– H.D./15, से. 4
सिटी सेन्टर बी. एस. सिटी

धनबाद, दिनांक 10/1/2013

विषयः– आवासीय / ~~व्यवसायिक~~ / ~~औद्योगिक~~ / ~~संस्थागत~~ भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं0 बी0डी0–788/11-12 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 24.3.12 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या– 11966 दि. 29.11.11
संख्या– 476 III 12-13 दाखिल खारिज अभिलेख
लगान रसीद वर्ष 2012-13 जमाबंदी संख्या 732/48 से निर्गत
की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond
एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय / ~~व्यवसायिक~~ / ~~औद्योगिक~~ / ~~संस्थागत~~ भवन
संबंधी बी0डी0 केश नं0 788/48 के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास
प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि चास –30 मौजा अन्तर्गत खाता नं0 307
प्लोट नं0 198, 199 रकवा 58.90 डी
भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री अशोक कुमार
की देख–रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय–समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये तल्ले से हटकर अन्य तल्ले का निर्माण नहीं करेंगे।

मात्र भवन विनियमन के दायरे में आवासीय / ~~व्यवसायिक~~ / ~~औद्योगिक~~ / ~~संस्थागत~~ भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वंय जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार / नेशनल बिल्डिग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में 25 % कुल रू0– 8600/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक श्रमायुक्त, धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वंय सुनिश्चित करेंगे।

10-1-13

नगर निवेशक / तकनीकी सदस्य
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
धनबाद।

8/1/13 8/1/13

ज्ञापांक– .... / नगर निवेशन, दिनांक .... /

प्रतिलिपि– श्री अशोक कुमार लाईसेंसी अभियन्ता, धनबाद / चास–बोकारो।
2–सहायक श्रमायुक्त, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर निवेशक / तकनीकी सदस्य
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,
धनबाद।

Technoculture Building Centre Pvt. Ltd.
Authorised Signatory